

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2342
गुरुवार, 20 मार्च, 2025/29 फाल्गुन, 1946 (शक)

प्रछन्न बेरोजगारी से निपटने के उपाय

2342 श्री मस्तान राव यादव बीडा:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने देश में प्रछन्न बेरोजगारी के स्तर का क्षेत्र-वार और राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र-वार अध्ययन या आकलन कराया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (घ) पारंपरिक/विरासती क्षेत्रों के बाहर रोजगार के अवसर तलाशने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन की पेशकश करके प्रछन्न बेरोजगारी के खतरों को कम करने में विशेष रूप से सहायक योजनाओं और कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): रोजगार और बेरोजगारी पर आधिकारिक डेटा वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से एकत्र किया जाता है, जो वर्ष 2017-18 से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित किया जाता है। सर्वेक्षण अवधि प्रतिवर्ष जुलाई से जून होती है।

नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) वर्ष 2017-18 में वर्ष 6.0% से घटकर 2023-24 में 3.2% हो गई है। क्षेत्रवार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विस्तृत जानकारी पीएलएफएस रिपोर्ट में उपलब्ध है जिसे एमओएसपीआई की वेबसाइट https://www.mospi.gov.in/download-reports?main_cat=ODU5&cat=All&sub_category=All पर देखा जा सकता है।

रोजगार सृजन के साथ-साथ नियोजनीयता में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता है और यह एक बहु-हितधारक पहल है। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभाग जैसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आदि विभिन्न रोजगार सृजन योजनाएं/कार्यक्रम जैसे प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम आदि कार्यावित कर रहे हैं, जो पूंजीगत व्यय में वृद्धि के साथ-साथ रोजगार सृजन को बढ़ावा देना चाहते हैं। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

भारत सरकार के कौशल भारत मिशन (एसआईएम) के तहत, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) कौशल विकास केंद्रों/संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से पूरे देश में विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) आदि के तहत कौशल, पुनः कौशल और कौशल संवर्धन प्रशिक्षण प्रदान करता है। एसआईएम का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग से संबंधित कौशल प्रदान करके भविष्य के लिए सक्षम बनाना है।

इसके अलावा, भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है, जो निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि सहित करियर से संबंधित सेवाएं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप समाधान है। दिनांक 28.02.2025 तक, एनसीएस पोर्टल पर 4.7 करोड़ से अधिक रिक्तियां जुटाई गई हैं।
